हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.2025 22.04.25	वकुलाय उप.। वकील अप्रार्थी सं 7 व 8 ने कथन किया कि उनके द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया जा चुका है। दावे एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 7 व 8 की क्रय शुदा भूमि है जो उन्होने स्व. रामकरण के जीवनकाल में ही क्रय की थी जबकि प्रार्थी राजेश द्वारा प्रस्तुत उक्त दावा पैतृक भूमि को लेकर होने से अप्रार्थी सं 7 व 8 का हक अधिकार प्रभावित नहीं होता है। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 03.06.2024 में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा किये गये पाबन्द को हटाने का निवेदन किया चूंकि उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की स्व. रामकरण के जीवनकाल में ही क्रय होने तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रिलीफ अप्रार्थी संख्या 1 ल0 6 के विरुद्व ही चाही गई है। अतएव इनके विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 03.06.2024 द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अप्रार्थी सं 7 व 8 के विरुद्व प्रत्याहारित किया जाता है शेष अप्रार्थीगण के विरुद्व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पूर्वानसुर यथावत रहेगा। मिसल वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु आईन्दा दिनांक 23.04. 2025 को पेश हो। [signature]	
23/4/25	वकुलाय उप.। मिसल वास्ते तलबी एवं जवाब हेतु आइन्दा दिनांक 21/5/25 को पेश होवे [signature]	
21/5/25	वकुलाय उप.। मूल वाद में प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1, 7 व 8, 9 की ओर से जवाब पूर्व में पेश हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 5 को अतिरिक्त शेष के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही मूल वाद में हो चुकी है। मिसल वास्ते जवाब/बहस आइन्दा दिनांक 4/6/25 को पेश हो। [signature]	
4/6/25	वकुलाय उप.। वकील पक्षकारान के निवेदन पर बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश आइन्दा दिनांक 10/6/25 को पेश हो। [signature]	
10/6/25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के पेश हुई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि रामकरण ग्राम रिजाणी में अपने नाना लिछमण उर्फ लक्ष्मण के गोद चला गया था। रामकरण के अलावा लिछमण उर्फ लक्ष्मण के एक पुत्री रूकमा देवी भी थी। रामकरण ने ग्राम रिजाणी में अपने दत्तक पिता से प्राप्त चल अचल सम्पति को बेचकर विवादित आराजी को क्रय किया था इस प्रकार विवादित आराजी रामकरण की पैतृक सम्पति हुई और पैतृक भूमि होने के कारण उक्त भूमि में रूकमा देवी का भी बराबर का हक हिस्सा रहा। चूंकि रामकरण ने अपने दत्तक पिता से प्राप्त चल अचल सम्पति को बेचकर विवादित आराजी को क्रय किया था इसलिये उक्त विवादित आराजी में रूकमा देवी का नाम दर्ज नहीं हुआ।	

कानूनन रूकमा देवी रामकरण की उक्त क्रयशुदा भूमि में 1/2 हक हिस्सा भूमि की सह खातेदार हुई। इस प्रकार रूकमा देवी के हक हिस्सा की भूमि पर प्रभाती देवी का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रभाती देवी को अपने 1/2 हिस्सा भूमि को ही बेचान करने का अधिकार है 1/2 हक हिस्सा भूमि पर उसका कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिये न्यायालय यदि प्रार्थी को रामकरण का दत्तक पुत्र नहीं मानता है और तो उक्त विवादित आराजी में रूकमा देवी के 1/2 हक हिस्सा भूमि को विक्रय रहन नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा यथावत रखी जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 9 की ओर से बहस का खण्डन करते हुये कथन किया कि प्रार्थी की ओर से बहस में किये गये कथन प्रश्नगत प्रकरण पर लागु नहीं होते क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी ने दावा में उक्त कथन दर्ज नहीं किया है इसलिये उक्त कथन पर विचार नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 9 की क्रयशुदा भूमि है जिसे बतौर प्रतिफल क्रय की गई है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 9 सदभावी क्रेता होने के नाते विवादित आराजी में समस्त अधिकार रखता है। इसलिये विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्व जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी में विनोद को रामकरण का दत्तक पुत्र बताकर रामकरण का फौतगी नामान्तरकरण अकेले प्रभाती देवी के नाम दर्ज होने तथा प्रभाती देवी द्वारा जमीन को आगे विक्रय करने पर जमीन जैर बहस को मूल वाद के निस्तारण तक आगे विक्रय नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखने का अनुतोष चाहा गया है साथ ही विनोद कुमार को दत्तक पुत्र नहीं मानने की स्थिति में जमीन जैर बहस रूकमा की पैतृक भूमि होने में के नाते रूकमा देवी के 1/2 हक हिस्सा को आगे अन्तरण नहीं करने हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 9 का कथन है कि जमीन जैर बहस अप्रार्थी संख्या 9 की क्रयशुदा भूमि है जिसे बतौर प्रतिफल क्रय की गई है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 9 सदभावी क्रेता होने के नाते विवादित आराजी में समस्त अधिकार रखता है और सदभावी क्रेता के विरूद्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी की ओर से विनोद कुमार रामकरण का दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है परन्तु अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस में रामकरण दत्तक पुत्र लिछमणराम का कथन किया गया है जबकि जवाब प्रार्थना पत्र में रामकरण पुत्र सुरजा का कथन किया गया है जो कि संदेह की स्थिति पैदा करता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के कथनों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि जमीन जैर बहस रामकरण को बतौर दत्तक पुत्र प्राप्त हुई है अथवा रामकरण सुरजा का पुत्र था जबकि दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने लिछमण की एक पुत्री रूकमा होना कथित किया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में तो नहीं है परन्तु अपूरणीय क्षति का बिन्दु रूकमा देवी के वारिसान के पक्ष में है। जिसका विनिश्चय साक्ष्य सबूतों के आधार पर मूल वाद में होना है। इसलिये वकील प्रार्थी की ओर से दौराने बहस किये गये कथनो में रूकमा लिछमणराम की पुत्री का कथन होने एवं अप्रार्थीगण के जवाब व लिखित बहस में किये गये कथनों में रामकरण के पिता के तथ्य पर विरोधाभास होने की स्थिति में रामकरण स्वयं द्वारा बेचानशुदा भूमि को छोड़कर शेष भूमि के 1/2 हिस्सा पर रूकमा का हक हिस्सा साबित नहीं होने तक विवादित आराजी के 1/2 हक हिस्सा भूमि पर न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखा जाता है शेष 1/2 हक हिस्सा भूमि को स्थगन से मुक्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। 4/7